उत्तर प्रदेश शासन
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1
संख्या:-15/2016/3394/सोलाह्-1-2016-14(28)/2010
लखनऊ : दिनांक 26 अगस्त, 2016

कार्यालय आदेश

शासन के कार्यालय आदेश संख्या-3149/सोलह-1-2010-11(28)/2010 दिनांक 8.9.2010 एवं पत्र संख्या-3150/सोलह-1-2010-14(28)/2010 दिनांक 8.9.2010 द्वारा राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, अम्बेडकरनगर एवं बांदा को तत्कालीन गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बिजनौर को महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतमबुद्ध नगर का घटक कालेज बनाते हुए उक्त कालेजों का संचालन/पठन-पाठन क्रमशः कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, सुलतानपुर, बुन्देलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झांसी एवं हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में किये जाने एवं प्रश्नगत संस्थानों का निर्माण कार्य/अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था यथाशीघ्र कराने एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से विधिवत मान्यता/अनुमोदन प्राप्त करने के आदेश निर्गत किये गये थे।

2. उक्त के क्रम में निदेशक, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, अम्बेडकरनगर, बिजनौर एवं बांदा द्वारा अपने पत्र क्रमश: दिनांक 20.7.2016, 21.7.2016 एवं 17.8.2016 में अवगत कराया है कि प्रश्नगत संस्थाओं को शैक्षिक सत्र 2016-17 से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा विधिवत अनुमोदन/मान्यता प्रदान कर दी गयी है। संस्थानों के बाइलाज एवं सोसाइटी का पंजीकरण तथा प्रशासकीय परिषद का गठन किया जा चुका है एवं संस्थान अपने पूर्ण स्वतंत्र अस्तित्व में संचालित हो रहे है।

3. संस्थाओं के निदेशकों द्वारा किये गये उक्त अनुरोध पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, अम्बेडकरनगर, बिजनौर एवं बांदा को उपरोक्त आदेश दिनांक 8.9.2010 द्वारा घोषित घटक संस्थान के स्थान पर डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध (Affiliated) शासकीय अनुदानित अभियंत्रण संस्थान घोषित करने/बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. कृपया तदानुसार अग्रेत्तर यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

शिवाकान्त द्विवेदी
विशेष सचिव

संख्या व दिनांक तदैवः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
(2) कुलपति, डा0 ए0जी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
(3) कुलपति, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
(4) कुलसचिव, डा0 ए0जी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।

2.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) कुलसचिव, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
(6) अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
(7) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।
(8) निदेशक, बुन्देलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झांसी।
(9) निदेशक, हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर।
(10) निदेशक, उ0प्र0 वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर।
(11) निदेशक, कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, सुलतानपुर।
(12) निदेशक, इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, लखनऊ।
(13) निदेशक, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, अम्बेडकरनगर/बिजनौर/बांदा एवं आजमगढ़।
(14) निदेशक, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, मैनपुरी/कन्नौज एवं सोनभद्र।
(15) प्रधानाचार्य एवं अधिष्ठाता, लखनऊ वास्तुकला संकाय, लखनऊ।
(16) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध किशोर)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।